वर्ष 2025–26 में पर्यटक आवास गृहों की कैन्टीनों को 03 वर्ष हेतु किराये पर दिये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित सेवा शर्ते।

1. प्रत्येक आवेदन पत्र का मूल्य रू0 1500.00 (रु0 1271.00 एंव रु0 229.00 जी0एस0टी0) 18% जी0एस0टी0 सहित है।
2. कोटेशनदाता को कोटेशन डालते समय लिफाफे के ऊपर जिस पर्यटक आवास गृह की कैन्टीन हेतु कोटेशन दरें दी जा रही है उसका नाम अंकित करना होगा। लिफाफे के अंदर दो लिफाफे अलग–अलग डालने होंगे, जिसमें से एक लिफाफा तकनीकि कोटेशन से सम्बन्धित एवं दूसरा लिफाफा वित्तीय कोटेशन से सम्बन्धित होगा।

   i. **तकनीकी कोटेशन से सम्बन्धित लिफाफा**

   तकनीकि कोटेशन से सम्बन्धित लिफाफे के अन्दर कोटेशन दाता को धरोहर राशि से सम्बन्धित एफ0डी0आर/सी0डी0आर, अपना पैन नं0, तीन वर्षों की इनकम टैक्स रिटर्न की प्रतियां, आधार कार्ड, कोटेशन फार्म क्रय करने की रसीद की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति दी जानी आवश्यक होगी, यदि कोटेशन दाता/फर्म का जी0एस0टी0 में रजिस्टर्ड हो तो जी0एस0टी0 नम्बर की प्रति उपलब्ध करानी होगी यदि कोटेशन दाता उक्त सीमा के अर्न्तगत नही आता हो तो शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

   ii. **वित्तीय कोटेशन से सम्बन्धित लिफाफा**

   उक्त लिफाफे में जिस पर्यटक आवास गृह की कैन्टीन हेतु कोटेशन दरें दी जा रही हैं उससे सम्बन्धित कैन्टीन की वार्षिक किराये की दरें सील बन्द लिफाफे में दी जायेगी।

3. **धरोहर राशि**–

   बिना धरोहर राशि के आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। धरोहर राशि केवल एफ0डी0आर/सी0डी0आर0 के रूप में ही स्वीकार की जायेगी, जोकि प्रबन्ध निदेशक ग0म0वि0नि0लि0 के नाम बन्धक रहेगी। नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा धहरोहर राशि मान्य नहीं होगी।

4. पहले लिफाफे के बाहर तकनीकी कोटेशन एवं दूसरे लिफाफे के बाहर वित्तीय कोटेशन लिखकर स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना होगा तथा दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे के अन्दर रख कर जमा करना होगा। प्रत्येक कैन्टीन के लिये पृथक–पृथक निविदायें डाली जायेगी।
5. समस्त वांछित प्रपत्र की छायाप्रति तकनीकी कोटेशन के साथ जमा की जानी होगी, सम्बन्धित की मूल प्रति अनुबंध से पूर्व सफल कोटेशन दाता को सत्यापित करने हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. कोटेशनदाता को होटल/रेस्टोरेन्ट आदि चलाने का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।
7. कोटेशनदाता द्वारा जिस पर्यटक आवास गृह की कैन्टीन हेतु वार्षिक किराये की दरें दी जायेगी उस पर लागू होने वाले जी0एस0टी0 की दरों को कोटेशन दाता द्वारा स्वंय वहन करना होगा।
8. अनुबन्ध के समय आवेदक को अपना मूल निवास प्रमाण पत्र या स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र जोकि 6 माह से पुराना न हो को राजस्व विभाग के तहसीलदार/उपजिलाधिकारी से प्राप्त कर निगम को उपलब्ध कराना होगा एवं साथ ही तकनीकी कोटेशन में मांगी गयी प्रमाण पत्रों की फोटो प्रति स्वहस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. असफल कोटेशनदाताओं की धरोहर राशि सफल कोटेशनदाताओं के साथ अनुबन्ध होने के पश्चात् वापस की जायेगी।
10. निगम द्वारा निर्धारित न्यूनतम किराया राशि से कम एवं पूर्व वर्षों के बकायेदारों के आवेदन / कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा।
11. कोटेशनदाता जिसकी कोटेशन स्वीकृत होगी, को प्रारंभ में संचालन हेतु ईकाईयां 03 वर्षो हेतु किराये पर दिया जायेगा। कार्य संतोषजनक होने पर इसे दोनों पक्षों की सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है।

12. पर्यटक आवास गृह की कैन्टीन "जैसा है जहां है" की स्थिति में किराये पर दिये जायेंगे। दैवीय आपदा/माहामारी या अन्य कारणों से सफल कोटेशनदाता के व्यवसाय पर यदि प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो गढ़वाल मण्डल विकास निगम इसके लिए उत्तरदायी नही होगा।

13. कोटेशन स्वीकृति के पश्चात् सफल कोटेशनदाता द्वारा उक्त कोटेशन को अन्य पार्टी को Sublet नही किया जा सकेगा।

<u>अनुबन्ध एवं भुगतान</u>

14. आवेदन पत्र स्वीकृत होने पर आवेदक को 10 दिनों के अन्दर निगम की निर्धारित सेवा शर्तों के अनुसार निगम द्वारा निंधारित स्थान में अनुबन्ध करने हेतु उपस्थित होना। उपस्थित न होने की दशा में 10 दिनों के पश्चात आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा, तथा आवेदक द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि जब्त कर दी जायेगी व निगम सम्बन्धित कैण्टीन को द्वितीय आवेदक को देने हेतु स्वतन्त्र होगा।

15. कोटेशन स्वीकृति के पश्चात अनुबन्ध के समय से पूर्व एक वर्ष का सम्पूर्ण किराया अग्रिम रुप में जमा करना होगा, यदि संचालनकर्ता द्वारा वर्षभर की धनराशि 10 दिन के अन्दर जमा नही की जाती है तो ऐसी स्थिति में संचालनकर्ता के साथ अनुबन्ध नही किया जायेगा । संचालक को आगामी प्रत्येक वर्ष किराया धनराशि प्रथम माह के प्रथम सप्ताह में अग्रिम रुप में जमा करानी आवशयक होगी, किराया अग्रिम रुप से जमा न करने पर धरोहर राशि एवं पूर्व जमा किराये की राशि भी जब्त कर ली जायेगी, तथा अनुबनध निरस्त करने के साथ ही बिलम्ब अवधि के लिए बकाया धनराशि पर 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज की वसूली की जायेगी, तथा आवश्यकता पड़ने पर किराये की अवशेष राशि की वसूली राजस्व विभाग के माध्यम से की जायेगी।

16. सफल कोटेशनदाता द्वारा किराए की धनराशि का भुगतान निगम के एच0डी0एफ0सी0 बैंक में संचालित खाता का नाम MD GMVN PP MODE खाता संख्या–50100295694871 आई0एफ0एस0सी0 कोड–HDFC0000225 शाखा–56 राजपुर रोड़, देहरादून में जमा करना होगा, जिसकी सूचना संचालक द्वारा लिखित में प्रबन्धक आरक्षण पर्यटन को उपलब्ध करायी जानी आवश्यक है।

17. **<u>कार्यपूर्ति प्रतिभूति(Performance Security)</u>**

सफलतम/अधिकतम कोटेशनदाता को कार्य आवंटित हो जाने के पश्चात् अनुबन्ध से पूर्व अनुबन्ध अवधि हेतु दिये गये शुल्क धनराशि का 10 प्रतिशत की धनराशि के बराबर एक एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 जोकि प्रबन्ध निदेशक ग0म0वि0नि0लि0 के नाम बन्धक होगी, को अनुबन्ध अवधि से 2 माह आगे तक की तिथि तक के लिए बनाकर जमा करनी होगी।

18. जल/विद्युत व्यय/नगरपालिका परिषद के टैक्स एवं जी0एस0टी0 आदि का भुगतान संचालनकर्ता को स्वंय वहन करना होगा।

19. पर्यटक आवास गृह की कैन्टीन का उपयोग केवल पर्यटन सम्बन्धी गतिविधियों के लिये ही मान्य होगा।

20. संचालनकर्ता द्वारा पर्यटक आवास गृह की कैन्टीन का प्रयोग स्थानीय नियमों एवं प्रतिबंधों के अधीन किया जायेगा, संचालनकर्ता द्वारा किसी भी नियम का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में पूर्ण उत्तरदायित्व संचालनकर्ता का होगा।

21. निगम द्वारा एक माह के अग्रिम नोटिस पर अनुबन्ध निरस्त किया जा सकेगा।

22. ऐसे कैन्टीन संचालक जिनके पास पाँच से अधिक कर्मचारी कार्यरत होगें उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भारत सरकार के नियमों के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि में पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा। साथ ही नियमानुसार पुष्टि हेतु चालान की एक प्रति जमा करनी होगी। ऐसे कैन्टीन संचालक जिनके द्वारा भविष्य निधि संगठन के निर्धारित नियम से कम कर्मचारी कार्योजित किये है को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके पास निर्धारित संख्या से कम कर्मचारी कार्यरत है। जिस कारण कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के दायरें में नही आते है, इसके अतिरिक्त संचालक द्वारा भारत सरकार की गाईड लाईन के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा (EPF/ESI) में पंजीकरण किया जाना अनिवार्य होगा।

23. चयनित कोटेशनदाता को 03 वर्षो की अवधि की निर्धारित धनराशि का 2 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी के साथ पंजीकृत अनुबन्ध स्टाम्प पेपर रजिस्ट्रड पर करना अनिवार्य होगा, जिसका व्यय सफल निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा।

24. आवेदक/ कोटेशनदाता सम्बन्धित कैन्टीन की निविदा डालने से पूर्व भली–भांति निरीक्षण कर लें। विभिन्न ऋतुओं में अपेक्षित व्यवसाय का आंकलन करने एवं "जैसा है, जहां है," के आधार पर आवेदन दें। अनुबन्ध के पश्चात कैन्टीन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की सुविधा/असुविधा के लिए कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। दैवीय आपदा से कैन्टीन के व्यापार पर कोई ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, तो निगम इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

25. जिस कैन्टीन में फर्नीचर व क्राकरी कटलरी उपलब्ध है, उन्हें उपयोग के लिए कैन्टीन संचालक को दिया जायेगा, तथा जहां यह सुविधा नही है, वहाँ निगम यह सुविधा देने के लिए बाध्य नहीं होगा, उस स्थिति में आवेदक को स्वंय अपनी व्यवस्था करनी होगी।

26. सफल कोटेशनदाता /कैन्टीन संचालक खाद्य पदार्थोंकी मूल्य सूची (मेन्यू कार्ड) डायनिंग हॉल में प्रदर्शित/ चस्पा करेगा। मेन्यू कार्ड पर्यटक आवास गृह के प्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा अनुमोदित होना अनिवार्य है और उसी सूची के आधार पर कैन्टीन संचालक द्वारा खाद्य पदार्थ की बिक्री की जायेगी।

27. कैन्टीन के संचालन के लिए किसी भी प्रकार के लाइसेन्स आदि प्राप्त करने का दायित्व सफल कोटेशनदाता /कैन्टीन संचालक का होगा।

28. कैन्टीन में सफाई का विशेष ध्यान रखा जायेगा। कैन्टीन में नियुक्त कर्मचारी स्वस्थ एवं व्यवहार कुशल होने के साथ–साथ वर्दी में भी होने चाहिए। पर्यटक द्वारा किसी भी प्रकार की भोजन एवं व्यवहार के सम्बन्ध में शिकायत आने पर कैन्टीन संचालक का अनुबन्ध 15 दिन की पूर्व सूचना देकर निरस्त करने का अधिकार निगम प्रबन्धन का होगा।

29. कैन्टीन के सफल संचालन हेतु सम्बन्धित प्रबन्धक कैन्टीन संचालक को समय–समय पर दिशा निर्देश देंगे, जिसका पालन कैन्टीन संचालक को करना होगा।

30. कैन्टीन संचालक द्वारा निगम के नाम का उपयोग अपनी स्टेशनरी एवं कैश मैमो में नहीं किया जायेगा। कैन्टीन संचालन हेतु बाजार से कय की जाने वाली सामग्री के भुगतान के लिए कैन्टीन संचालक स्वंय उत्तरदायी होगा।

31. जी0एस0टी0 एवं अन्य किसी कर के भुगतान का पूर्ण उत्तरदायित्व कैन्टीन संचालक का होगा।

32. जो कैन्टीन यात्रा मार्ग में है, उनमें शुद्ध शाकाहारी भोजन ही दिया जायेगा एवं मध्यपान निषेध का पूर्ण पालन किया जायेगा। पर्यटकों द्वारा यदि उत्तरांखण्डी भोजन की भी मांग की जाती है तो कैन्टीन संचालक द्वारा उत्तराखण्डी फूड पर्यटकों को उपलब्ध करवाया जायेगा।

33. भोजन का स्तर एवं सर्विस उच्च स्तरीय होनी चाहिए, ताकि निगम की प्रतिष्ठा पर आंच न आने पाये।

34. कैन्टीन संचालक यदि कैन्टीन को आरम्भ करने में विलम्ब करता है, चलाने में असमर्थता व्यक्त करता है, तथा कैन्टीन का संचालन बीच में ही अकस्मात छोड़ता है तो निगम को उसकी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

35. यदि कैन्टीन संचालक द्वारा किराये की धनराशि यथासमय जमा नही की जाती तो सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से भू–राजस्व के बकाये के रूप में (आर0सी0) किराये की अवशेष धनराशि को वसूल करवाने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा।

36. जिन प0आ0गृहों में कैन्टीन संचालकों को फर्नीचर व क्राकरी उपलब्ध करायी जायेगी, अनुबन्ध समाप्ति के पश्चात् कैन्टीन संचालक को फर्निचर एवं अन्य सामग्री जैसी स्थिति में प्राप्त की गयी थी उसी स्थिति में निगम को वापस की जानी होगी। इनमें किसी भी प्रकार के नुकसान का उत्तरदायित्व कैन्टीन संचालक का होगा, जिसकी वसूली कास्टिंग के आधार पर सम्बन्धित प्रबन्धक द्वारा मौके पर की जायेगी।

37. किराये की अवधि में यदि किसी बाहय कारणों से विद्युत एवं पानी की आपूर्ति में अवरोध होता है तो उसके लिए निगम उत्तरदायी नहीं होगा।

38. कैन्टीन में सुझाव एवं शिकायत पुस्तिका रखी जायेगी, जिसमें समय–समय पर पर्यटकों तथा निगम के अधिकारियों की निरीक्षण टिप्पणी अंकित की जायेगी।

39. अनुबन्ध समाप्ति के पश्चात धरोहर धनराशि वापल लेते समय कैन्टीन संचालक को सम्बन्धित पर्यटक आवास गृह के प्रबन्धक/प्रभारी से नोडयूज प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा, तथा धरोहर धनराशि की मूल रसीद प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करनी आवश्यक होगी। किराये पर दी गयी कैन्टीन का कब्जा कैन्टीन संचालक को किरायेदारी समाप्ति के पश्चात विधिवत रूप से प्रबन्धक को वापस देना होगा। कैन्टीन संचालक द्वारा किराये के लिए दिये गये नियत स्थान के अलावा आवास गृह के किसी भी अन्य स्थान पर अतिक्रमण नहीं किया जायेगा। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के एक वर्ष पश्चात धरोहर राशि को वापस करने की कार्यवाही हेतु निविदादाता द्वारा आवेदन किया जायेगा।

40. कैन्टीन में निगम के उत्पादों जैसे जैम, जैली, जूस, (माल्टा,बुरांस), स्क्वेस आदि की बिक्री कैन्टीन संचालक अनिवार्य रूप से करेगा, जिसकी आपूर्ति मांग के अनुसार प्रधान प्रबन्धक उद्योग, मुख्यालय द्वारा भुगतान आधार पर की जायेगी।

41. बिजली, पानी के बिलों का निर्धारण सम्बन्धित आवास गृह के प्रबन्धक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा तथा तय की गयी निर्धारित धनराशि का विवरण मुख्यालय को भेजा जायेगा और उन देयकों के भुगतान के लिए कैन्टीन संचालक उत्तरदायी होगा।

42. प्राप्त आवेदन पत्रों अथवा कोटेशनो को खोलते समय आवेदक या उसके प्रतिनिधि को अनिवार्य रूप से मौके पर उपस्थित रहना होगा, जिससे कि समिति द्वारा आवेदन पत्रों पर लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में अवगत कराया जा सके।

43. पूर्व में जिन कैन्टीन संचालकों को निगम की कैन्टीन किराये पर दी गयी थी, और जिनके द्वारा निगम की सेवा शर्तों के अनुसार अनुबन्धित धनराशि जमा नहीं की गयी है या यदि वे संचालन के दौरान विवादित रहे हैं तो उनके आवेदन को आगामी वर्षों हेतु स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम प्रबन्धन का होगा।

44. कैन्टीन कोटेशन देने में भाग लेने वाले ऐसे अभ्यर्थी को जिनके पास विगत वर्षों में निगम की कोई भी कैन्टीन किराये पर थी, उस वर्ष का "अदेयता प्रमाण पत्र" सम्बन्धित आवास गृह के प्रबन्धक से प्राप्त कर आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। गत वर्ष के ऐसे कैन्टीन संचालक जिनके विरूद्व कोई बकाया अवशेष है, आवेदन जमा करने से पूर्व बकाया धनराशि को अनिवार्यतः निगम मुख्यालय में जमा कर रसीद प्राप्त कर लें और उस रसीद को आवेदन फार्म के साथ संलग्न करें।

45. किसी भी विवाद के सम्बन्ध में विवाद का निस्तारण "एकल मध्यस्थता" प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम के द्वारा किया जायेगा। प्रबन्ध निदेशक स्वंय मध्यस्थता करें या किसी अन्य व्यक्ति से मध्यस्थता कराने हेतु एकल मध्यस्थता को स्थानान्तरित कर सकते हैं। एकल मध्यस्थता भारतीय मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी। उक्त मध्यस्थता द्वारा पारित किया गया निर्णय अन्तिम व पक्षकारों पर मान्य होगा। न्यायालय का क्षेत्राधिकार तथा मध्यस्थता का क्षेत्राधिकार जनपद देहरादून होगा।

PHOTO

03 .वर्ष हेतु पर्यटक आवास गृह की कैन्टीन को किराये पर आंवटित करने हेतु तकनीकि कोटेशन

कोटेशन प्रपत्र मूल्य रू0 1,500.00. (रु0 1271.00 एंव रु0 229.00:जी0एस0टी0) 18: जी0एस0टी0 सहित

1– पर्यटक आवास गृह की कैन्टीन का नाम– ....

2– कोटेशन बिक्री की अन्तिम तिथि एवं स्थान
01. जनपद उत्तरकाशी हेतु भगीरथी टूरिस्ट कॉम्पलेक्स उत्तरकाशी में दिनाक 15.04.2025 को 05.00 बजे तक।
02. जनपद चमोली हेतु प0आ0गृह जोशीमठ नया जोशीमठ चमोली में दिनाक 21.04.2025 को 05.00 बजे तक।

3– कोटेशन जमा करने की अन्तिम तिथि एवं स्थान
01. जनपद उत्तरकाशी हेतु भगीरथी टूरिस्ट कॉम्पलेक्स उत्तरकाशी में दिनाक 16.04.2025 को कार्यालय के टेण्डर बॉक्स में 02 बजे तक डाली जायेगी।
02. जनपद चमोली हेतु प0आ0गृह जोशीमठ नया जोशीमठ चमोली में दिनाक 22.04.2025 को कार्यालय के टेण्डर बॉक्स में 02 बजे तक डाली जायेगी।

4–तकनीकी कोटेशन खोलने की तिथि, समय एवं स्थान
01. जनपद उत्तरकाशी हेतु भगीरथी टूरिस्ट कॉम्पलेक्स उत्तरकाशी में दिनाक 16.04.2025 को 03 बजे से खोली जायेगी।
02. जनपद चमोली हेतु प0आ0गृह जोशीमठ नया जोशीमठ चमोली में दिनाक 22.04.2025 को 03 बजे से खोली जायेगी।

5– कोटेशनदाता का नाम .... पिता का नाम ....

(कोटेशनदाता का नाम अग्रेजी के बडें अक्षरो में)...

पिता का नाम अग्रेजी के बडें अक्षरो में..

6– स्थाई पता ग्राम,पो0ओ0, तहसील व जनपद...

....

7– पत्राचार का पता ....

8– व्यवसायिक योग्यता/अनुभव ....

9– कोटेशनदाता का पैन नम्बर .... जी0एस0टी0 नं0 या शपथ पत्र ....

आधार कार्ड सं0 ....

10– कोटेशन फार्म की राशि (अंको में)...................................... (शब्दों में) ....

..

कोटेशन फार्म की रसीद सं0.. दिनांक ....

(उपरोक्त की छायाप्रति संलग्न करें)

11–धरोहर धनराशि का विवरणधनराशि (अंकों में) ....

1. धनराशि (शब्दों में) ....
2. CDR/FDR NO .... दिंनाक ....
3. बैंक का नाम ....

12– कोटेशन दाता का मोबाईल नम्बर – 1) .... 2)........................... 3) ई0मेल आई0डी0 ....

मैं घोषणा करता हूँ कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 द्वारा दी गयी सभी सलग्न शर्ते मुझे मान्य होगी।

दिंनाक...........................1. निविदादाता का नाम ....2. हस्ताक्षर...

3. कोटेशन दाता का पूरा पता...

03 वर्ष हेतु कैंटीनों को किराये पर आंवटित करने हेतु
वित्तीय कोटेशन

1– कोटेशन दाता का नाम...

(कोटेशनदाता का नाम अग्रेजी के बडें अक्षरो में)..

2– पिता का नाम ....

पिता का नाम अग्रेजी के बडें अक्षरो में..

3– स्थाई पता ग्राम,पो0ओ0, तहसील व जनपद...

....

4– पत्राचार का पता ....

....

....

5– कोटेशन दाता का मोबाईल नम्बर ....

6– ई0मेल आई0डी0 ....

क्रं0 सं0	कैन्टीन का नाम	किराये की वार्षिक धनराशि	
		अंकों में	शब्दो में
1.			

उक्त दर के अतिरिक्त 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अतिरिक्त लागू है।

कोटेशन दाता का नाम.. हस्ताक्षर...

कोटेशन हेतु निर्धारित प्रतिभूति धनराशि

क्र0सं0	कैन्टीन का नाम	जनपद	कोटेशन हेतु निर्धारित प्रतिभूति धनराशि
1.	प0आ0गृह ज0या0नि0 गंगोत्री कैन्टीन	उत्तरकाशी	4,000
2.	प0आ0गृह रैंथल कैन्टीन	उत्तरकाशी	3,000
3	प0आ0गृह बारसू कैन्टीन	उत्तरकाशी	3,000
4.	प0आ0गृह भैरो घाटी कैन्टीन	उत्तरकाशी	50,000
5.	प0आ0गृह हनुमानचटटी कैन्टीन	उत्तरकाशी	19,000
6.	प0आ0गृह ज0या0 बडकोट कैन्टीन	उत्तरकाशी	16,000
7.	प0आ0गृह पुरोला कैन्टीन	उत्तरकाशी	15,000
8.	प0आ0गृह असनौलगाड	उत्तरकाशी	5,000
9.	प0आ0गृह स्यानाचटटी कैन्टीन	उत्तरकाशी	6,500
10.	प0आ0गृह पाडुंकेशवर कैन्टीन	चमोली	15,000
11.	रोपवे एल0टी0पी0 जोशीमठ कैन्टीन	चमोली	28,000
12.	प0आ0गृह नन्दप्रयाग कैन्टीन	चमोली	8,500
13.	प0आ0गृह घाघंरिया कैन्टीन	चमोली	20,000

चैक लिस्ट

1. कोटेशन दाता का नाम...
2. पर्यटक आवास गृह की कैन्टीन का नाम...

क्रम सं0	विवरण	हॉ	नहीं
1	क्या आपने कोटेशन की लागत का डिमांड डापट अथवा नगद जमा धनराशि की रसीद कोटेशन फॉर्म के साथ संलग्न किया है।		
2	क्या आपने धरोहर राशि (EMD) से सम्बन्धित CDR/FDR कोटेशन फॉर्म के साथ संलग्न किया है।		
3	पैन कार्ड का प्रमाण पत्र आधार कार्ड की छायाप्रति कोटेशन फॉर्म के साथ संलग्न किया है।		
	क्या आपने आधार कार्ड की छायाप्रति कोटेशन फॉर्म के साथ संलग्न किया है।		
4	क्या आपने जी0एस0टी0 नम्बर की छायाप्रति कोटेशन फॉर्म के साथ संलग्न किया है।		
5	पिछले तीन वर्षों की इनकम टैक्स रिटर्न की प्रतियां कोटेशन निविदा फॉर्म के साथ संलग्न किया है।		
6	क्या आप श्रम उपकर और राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर लगायें जाने वाले अन्य कर जमा करने को बाध्य है।		
7	क्या आपने जी0एस0टी0 सहित वस्तुओं की दरें दी है।		
8	क्या आपने प्रस्ताव पर बैधता के सम्बन्ध में 100.00 रूपये के स्टाम्प पेपर पर अपना शपथ पत्र 90 दिनों के लिए दिया है।		
9	क्या आपने आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र के साथ संलग्न किया है।		
10	क्या आपने (EPF/ESI) पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न किया है।		
11	क्या आपने ई0पी0एफ0 पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न किया है।		
12	आपने पिछले 3 वर्षो के अपने कारोबार से सम्बन्धित की छायाप्रति संलग्न की है।		